पत्र संख्या–एस0एस0–एक(6)/निर्देश–(2016–17)// 1129 // वाणिज्य कर

कार्यालयः कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 13–फरवरी, 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

शासन में जोन की बड़ी फर्मों से प्राप्त कर की समीक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा करते हुए यह अपेक्षा की गयी है कि बड़े जोन में सम्मिलित 11 जोन गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा में जोन की 25 बड़ी फर्मों तथा अन्य जोनों में 15 बड़ी फर्मों द्वारा प्राप्त प्रगामी राजस्व की गत वर्ष से प्राप्त राजस्व की तुलनात्मक समीक्षा सभी संभावित व्यापारिक संव्यवहारों की दृष्टि से करायी जाये कि फर्म द्वारा जमा राजस्व में कमी वास्तविक बिक्री कम होने से हुयी है या अनुचित तरीके से स्टॉक ट्रांसफर अधिक प्रदर्शित करके हुयी या प्रान्तीय बिक्री को केन्द्रीय बिक्री में प्रदर्शित करके या आई0टी0सी0 का लाभ/समायोजन अधिक लेने से या आयातित फॉर्म से मंगाये गये माल को प्रदर्शित न करने के द्वारा या किसी भी अन्य कारणों से है जो संभावित करापवंचन की ओर इंगित करते है।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम कर देने वाली जोन की कतिपय फर्मों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या ऐसी फर्म वि0अनु0शा0 के लिए संदर्भित की गयी है? यदि संदर्भित की गयी है तो उनमें क्या कार्यवाही हुयी? इसी प्रकार यदि गत वर्ष उनमें से किसी फर्म का वि0अनु0शा0 जांच हुयी है तो उसके अस्थायी कर निर्धारण से सृजित मांग की वसूली की क्या स्थिति है?

उपर्युक्त बिन्दुओं पर समीक्षा करके फर्मवार संक्षिप्त टिप्पणी मुख्यालय को लौटती डाक से अवगत कराया जाये ताकि दि0 15–02–2017 को समेकित टिप्पणी कमिश्नर महोदय के समक्ष इस कार्यालय से प्रस्तुत किया जा सके।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।